अध्याय-6

अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

अध्याय-6: अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1 कर प्रबंध

इस अध्याय में मनोरंजन शुल्क, विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू-विज्ञान तथा भू-राजस्व से प्राप्तियां शामिल हैं। इन करों का प्रबंध एवं उद्ग्रहण प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए अलग से निर्मित संबंधित अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018-19 में खदान एवं भू-विज्ञान (11 इकाइयां), विद्युत विभाग - बिजली पर कर एवं शुल्क (02 इकाइयां) तथा भू-राजस्व (34 इकाइयां) से संबंधित 163 इकाइयों में से 47 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 631 मामलों में ₹ 377.20 करोड़ (वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 1,036.97 करोड़ की प्राप्तियों का 36.38 प्रतिशत) से आवेष्टित कर प्राप्तियों तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली प्रकट की, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत **तालिका 6.1** में वर्णित हैं।

तालिका 6.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	संविदा धन और ब्याज की अवसूली	39	311.97
2.	रॉयल्टी, बहाली एवं पुनर्वास की अवसूली	132	54.07
3.	नकल एवं म्यूटेशन फीस जमा न करना	221	0.05
4.	निरीक्षण फीस की अवसूली	196	0.26
5.	विविध अनियमितताएं	43	10.85
	योग	**631**	**377.20**

चार्ट 6.1

(₹ करोड़ में)

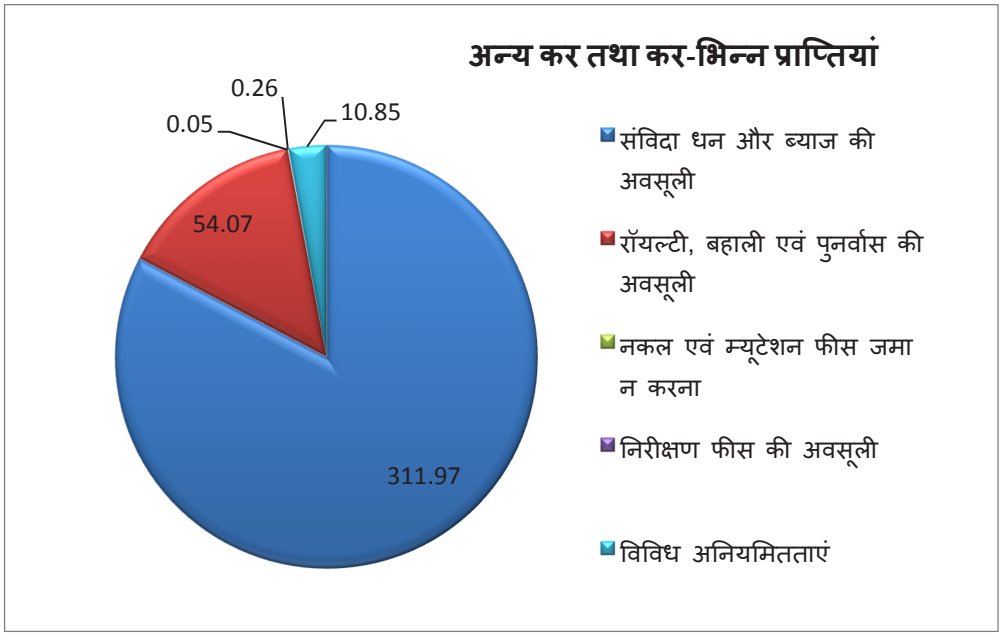

वर्ष के दौरान, विभाग ने 384 मामलों में आवेष्टित ₹ 302.94 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो वर्ष के दौरान इंगित किए गए थे। विभाग ने 85 मामलों में आवेष्टित ₹ 10.40 करोड़ वसूल किए जिनमें से 15 मामलों में वसूल किए गए ₹ 10.36 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 304.34 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

6.3 अग्रिम मासिक किश्तों और ब्याज की कम वसूली/अवसूली

विभाग ने ₹ 195.76 करोड़ के मासिक संविदा धन के कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 36 ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 80.05 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

निदेशक, खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किए गए आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) के पैरा 3 (i) के अनुसार बोल्डर, बजरी और रेत निकालने का अनुबंध, पर्यावरण मंजूरी प्रमाण-पत्र प्रदान करने की तिथि से या एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीने की अवधि समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, शुरू होता है। ठेकेदार सरकार को अग्रिम रूप से अनुबंध के निर्वाह के दौरान संविदा धन की किश्तों का भुगतान करेगा। आगे, अनुबंध में यह प्रावधान है कि देय तारीख (तारीखों) पर संविदा धन की किश्तों के भुगतान में चूक के मामले में 30 दिनों तथा 60 दिनों तक विलंब हेतु चूक की राशि पर क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभार्य होगा। 60 दिनों से अधिक विलंब, ठेका अनुबंध के समापन हेतु कार्रवाई आमंत्रित करने के लिए तथा चूक की संपूर्ण अवधि हेतु 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित राशि वसूलनीय होगी।

पांच[1] खनन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्तूबर तथा नवंबर 2018) ने प्रकट किया कि अप्रैल 2017 और मार्च 2018 के मध्य 36 ठेकेदारों, जिन्हें बोल्डर, बजरी और रेत निकालने का ठेका दिया गया था, को ₹ 377.52 करोड़ की अग्रिम मासिक किश्तें जमा करवानी थी लेकिन ठेकेदारों ने ₹ 181.76 करोड़ जमा किए। विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 195.76 करोड़ की अग्रिम मासिक किश्तों की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 80.05 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर खनन कार्यालय पानीपत तथा पंचकुला ने बताया कि ₹ 10.28 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी थी। सभी खनन कार्यालयों ने बताया कि ₹ 265.53 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

मामला नवंबर तथा दिसंबर 2018 के मध्य खदान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, बकाया राशि की मात्रा कम करने के लिए अनुबंध राशि की मासिक किश्तों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार से बैंक गारंटी प्राप्त करने पर विचार करे।

6.4 खान और खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि का कम जमा करवाना/जमा न करवाना

विभाग ने खान और खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि में ₹ 21.30 करोड़ कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 22 ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ नहीं की। ₹ 7.08 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज का संग्रहण, परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 की धारा 77 (1) और आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) के पैरा 3 (xiv) के अनुसार ठेकेदार, खान और खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि (एम.एम.डी.आर.आर.) की मासिक किश्तों के साथ अनुबंध राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करेगा। आगे, अनुबंध के भाग III के पैरा 5 में यह प्रावधान है कि नियत तारीखों पर भुगतान में चूक के मामलों में 30 दिनों, 60 दिनों तथा 90 दिनों तक चूक की राशि पर क्रमशः 15 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य होगा।

पांच[2] खनन कार्यालयों (एम.ओज) के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्तूबर से नवंबर 2018) ने प्रकट किया कि अप्रैल 2017 और मार्च 2018 के मध्य 22 ठेकेदारों को एम.एम.डी.आर.आर. निधि में ₹ 27.63 करोड़ की राशि जमा करवानी थी। तथापि, ठेकेदारों ने निधि में ₹ 6.33 करोड़ की राशि जमा करवाई। विभाग ने अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा न तो निधि में योगदान सुनिश्चित किया और न ही ब्याज लगाया, जिसके परिणामस्वरूप एम.एम.डी.आर.आर. निधि में ₹ 21.30 करोड़ की मासिक किश्त कम जमा/जमा नहीं हुई, इसके अतिरिक्त ₹ 7.08 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

---

1 अंबाला, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

2 अंबाला, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

यह इंगित किए जाने पर एम.ओ. पंचकुला ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 4.52 लाख की राशि की वसूली कर ली गई थी। सभी एम.ओज ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 28.33 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

मामला नवंबर तथा दिसंबर 2018 के मध्य खदान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, ठेकेदारों द्वारा अधिनियम के अनुसार बहाली और पुनर्वास निधि में योगदान सुनिश्चित करे।

6.5 रॉयल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

34 ईंट भट्ठा मालिकों ने वर्ष 2017-18 के दौरान रॉयल्टी की ₹ 10.69 लाख की देय राशि जमा नहीं की। ₹ 4.11 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज का संग्रहण, परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 की पहली अनुसूची के अनुसार ईंट भट्ठा मालिक (बी.के.ओज) प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रॉयल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। यदि भुगतान सात दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 30 दिनों तक, 30 दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 60 दिनों के भीतर तथा देय तारीख के 60 दिनों के बाद किया जाता है तो चूक की अवधि हेतु क्रमशः 15, 18 तथा 21 प्रतिशत (चूक की संपूर्ण अवधि हेतु) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य है। प्रत्येक खनन कार्यालय में रॉयल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु एक बी.के.ओ. रजिस्टर तैयार किया जाता है। ऐसे बी.के.ओज, जो रॉयल्टी का भुगतान नहीं करते हैं, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किए जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रॉयल्टी और उस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है।

खनन अधिकारियों/सहायक खनन अभियंताओं (एम.ओज/ए.एम.ईज) के पांच[3] कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (अक्तूबर से नवंबर 2018) कि 725 में से 34 बी.के.ओज ने अप्रैल 2017 तथा मार्च 2018 के मध्य रॉयल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। यद्यपि, मार्च 2019 तक 24 माह की अवधि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी ₹ 10.69 लाख की रॉयल्टी का न तो बी.के.ओज द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसे वसूल करने के लिए या परमिटों को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 10.69 लाख की रॉयल्टी की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 4.11 लाख का ब्याज भी नियमों के अनुसार उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर फरीदाबाद और यमुनानगर के ए.एम.ई./एम.ओ. ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 3.04 लाख की राशि की वसूली कर ली गई थी। सभी ए.एम.ईज/एम.ओज ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹ 11.76 लाख की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे। लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया कि राजस्व के संग्रहण हेतु जिस वर्ष यह देय थे, यह आश्वस्त करना कि बी.के.ओज से रॉयल्टी की वसूली हेतु अच्छी मॉनीटरिंग की आवश्यकता थी।

---

[3] अंबाला, फरीदाबाद, पंचकुला, पानीपत तथा यमुनानगर।

मामला नवंबर 2018 तथा जनवरी 2019 के मध्य खदान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा मई 2019 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

विभाग, सरकारी राजस्व की प्रभावी निगरानी और समय पर वसूली के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने पर विचार करे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे।

चण्डीगढ़
दिनांकः 25 जनवरी 2021

(फ़ैसल इमाम)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 29 जनवरी 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक